दिनांक 02.06.2026
प्रेस विज्ञप्ति 297/2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 की आगरा, अयोध्या, बांदा तथा गोरखपुर इकाइयों द्वारा अलग-अलग स्थानो पर की गयी ट्रैप की कार्रवाई

मा० मुख्यमंत्री उ0प्र0, **श्री योगी आदित्यनाथ जी** द्वारा भ्रष्टाचार के विरुद्ध **"जीरो टॉलरेंस"** की नीति तथा पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 **श्री राजीव कृष्ण** के सख्त निर्देशों के अनुपालन में दिनांक 01 व 02.06.2026 को भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 की आगरा, अयोध्या, बांदा तथा गोरखपुर इकाइयों द्वारा अलग-अलग स्थानो पर ट्रैप की कार्रवाई की गयी।

1-भ्रष्टाचार निवारण संगठन आगरा इकाई द्वारा राम कुमार निवासी भूठा पुल बालाजी मन्दिर शिकोहाबाद से बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी के यहां दायर वाद में आदेश शिकायतकर्ता एवं सह खातेदार के पक्ष में कराने के एवज में अवैध धनराशि की मांग के सम्बन्ध में की गयी शिकायत पर निरीक्षक श्रीमती पूजा शर्मा के नेतृत्व में डीजल सर्विस की दुकान कानपुर रोड बिल्टीगढ चौराहा फिरोजाबाद से चपरासी चकबन्दी कार्यालय फिरोजाबाद 1-अमर सिंह पुत्र स्व0 गांधीलाल 2-नीरज कुमार पुत्र अमर सिंह निवासीगण नगला तुरकिया मक्खनपुर, फिरोजाबाद को 20 हजार रूपये रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

2-भ्रष्टाचार निवारण संगठन अयोध्या इकाई द्वारा अखिलेश कुमार निवासी ग्राम नसीरपुर पाकड़ थाना महरूआ तहसील भीटी जनपद अम्बेडकरनगर से वरासत कराने के एवज में अवैध धनराशि की मांग के सम्बन्ध में की गयी शिकायत पर निरीक्षक श्री संजय सिंह के नेतृत्व में पीढी चौराहा से जयसिंहपुर रोड पर स्थित चाय की दुकान के सामने रोड के किनारे से विवेक कुमार (राजस्व लेखपाल तहसील जयसिंहपुर जनपद सुलतानपुर) पुत्र रामजीत वर्मा निवासी ग्राम बआयकपुर थाना जयसिंहपुर जनपद सुलतानपुर को 05 हजार रूपये रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

3-भ्रष्टाचार निवारण संगठन बांदा इकाई द्वारा हृदयचन्द्र निवासी वार्ड काशीनगर नगर पंचायत राजापुर जनपद चित्रकूट से भवन निर्माण हेतु नक्शा बनवाने के एवज में अवैध धनराशि की मांग के सम्बन्ध में की गयी शिकायत पर निरीक्षक श्री ज्ञानेन्द्र सिंह के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट जनपद चित्रकूट से अक्षय राहुल (वरिष्ठ सहायक लिपिक) पुत्र स्व0 राजेश कुमार निवासी बल्दाऊगंज थाना कर्वी कोतवाली जनपद चित्रकूट को 13 हजार रूपये रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

4-भ्रष्टाचार निवारण संगठन गोरखपुर इकाई द्वारा सत्यम यादव निवासी लालपुर थाना चौक जनपद महराजगंज से शिकायतकर्ता के पिता के लोन की दूसरी किस्त की भुगतान के एवज में अवैध धनराशि की मांग के सम्बन्ध में की गयी शिकायत पर निरीक्षक श्री रामबहादुर पाल के नेतृत्व में ठेकी चौराहा नगर पंचायत चौक महराजगंज से 1-हरेराम (सहायक फील्ड आफीसर उ0प्र0 सहकारी ग्राम्य विकास बैक महराजगंज) पुत्र स्व0 राजदेव प्रसाद निवासी ग्राम व पो0 सोनाडी थाना भुलुअनी जनपद देवरिया 2-जय ओम (चपरासी अवैतनिक) पुत्र शिवलाल निवासी ग्राम बहरामपुर थाना पनियरा जनपद महराजगंज को 20 हजार रूपये रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

दिनांक 02.06.2026
प्रेस विज्ञप्ति 298/2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

कमिश्नरेट आगरा/थाना लोहामंडी

- **50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 01.06.2026 को थाना लोहामंडी व एसओजी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर दिल्ली के नागलोई थाना क्षेत्र प्रेमनगर से पुरस्कार घोषित अभियुक्त सैमुअल उर्फ सहदेव उर्फ अमित को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना लोहामंडी पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु कमिश्नरेट स्तर से 50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना लोहामंडी पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1– सैमुअल उर्फ सहदेव उर्फ अमित निवासी वेस्ट अर्जुन नगर थाना शाहगंज, आगरा।

जनपद हापुड़/थाना बाबूगढ

- **पुलिस कार्यवाही में 03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूटे के 16 लाख 50 हजार रूपये नगद**
- **02 अवैध शस्त्र विभिन्न बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त कार बरामद**

दिनांक 01.06.2026 को थाना बाबूगढ व स्वाट की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर अलीपुर अण्डरपास के पास पुलिस कार्यवाही में अभियुक्त 1–रिजवान उर्फ मन्नू घायल हो गया, जिसे अभियुक्त 2–निहाल अहमद 3–लक्ष्य सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूटे के 16 लाख 50 हजार रूपये नगद, 02 अवैध शस्त्र विभिन्न बोर मय जीवित/खोखा

कारतूस, घटना में प्रयुक्त कार बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 31.05.2026 को थाना बाबूगढ क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना बाबूगढ़ पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपये उक्त घटना से सम्बन्धित है। गिरफ्तार अभियुक्त रिजवान उर्फ मन्नू के विरूद्ध जनपद हापुड, दिल्ली प्रान्त के विभिन्न थानों पर हत्या का प्रयास, लूट, चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 08 अभियोग व अभियुक्त निहाल अहमद के विरूद्ध जनपद हापुड़ व दिल्ली प्रान्त के विभिन्न थानों पर हत्या का प्रयास, लूट, आर्म्स एक्ट आदि के आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना बाबूगढ पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–रिजवान उर्फ मन्नू निवासी कांतिनगर थाना कृष्णानगर जनपद शहादरा, दिल्ली।

2–निहाल अहमद निवासी आराम पार्क गीता कालोनी, दिल्ली।

3–लक्ष्य निवासी शान्ति मोहल्ला राजगढ थाना गांधीनगर, दिल्ली।

बरामदगी

1–लूटे के 16 लाख 50 हजार रूपये नगद।

2–02 अवैध शस्त्र विभिन्न बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

3–घटना में प्रयुक्त कार।

- **जनपद बागपत/थाना बडौत (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद बागपत पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बागपत द्वारा थाना बडौत पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त आस मोहम्मद को आजीवन कारावास व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बागपत/थाना बडौत (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बागपत पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बागपत द्वारा थाना बडौत पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त अर्जुन उर्फ छोटू को आजीवन कारावास व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बहराइच/थाना मोतीपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 07 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 10 हजार 500 रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बहराइच पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बहराइच द्वारा थाना मोतीपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 304(2), 323 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त प्रमोद को 07 वर्ष के सश्रम कारावास व 10 हजार 500 रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

———